न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग)

पीठासीन अधिकारी –अनुराग हरित (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 78/22 तारीख दायरा:–15.12.2022

1. बालमुकन्द पुत्र रामजीलाल
2. खेमचंद पुत्र रोशन
3. चन्द्रपाल पुत्र मदन
4. रघुवरदयाल पुत्र पूरनमल
5. प्रकाशचंद पुत्र मानसिंह
6. भूदेव पुत्र हरचंद
7. ताराचंद पुत्र लल्लू
8. भूपसिंह पुत्र हीरालाल
9. छोटेलाल पुत्र नन्नू

जातियान समस्त खटीक, निवासी कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग

––––सायलान

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील नगर (डीग)।

––––गैरसायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:–

1. श्री संदिप मदान अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. पैरोकार सरकार।

आदेश दिनांक :– 03.06.2024

प्रार्थना पत्र अतंगर्त धारा 212 आर.टी.एक्ट. मे संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है। आ0ख0न0 617/0.11 गै.मु.चाह वाके कस्बा नगर तहसील नगर को आगे प्रार्थना पत्र मे विवादित आराजी कहकर संबोधित किया गया है। वर्तमान विवादित आराजी साबिक ख. न. 663 रकबा 18 बिस्वा से बना है। साबिक खसरा नम्बर 2203/663 रकबा 1 बीघा पूर्व मे वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की खातेदारी का रकबा था जिसके समर्थन मे जमाबंदी संवत 2014 पेश की गई। वर्तमान मे विवादित आराजी खाता संख्या 1 मे दर्ज होकर राज0 सरकार ने नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रकरण मे पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार नगर के पत्र के अनुसार वर्तमान मे विवादित आराजी मे मंदिर, धर्मशाला, सामाजिक स्थान, समाधी वगै0 बने हुए है। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर निम्न बिन्दुओ पर विवेचन अपेक्षित है।

1. प्रथम दृष्टया केस
2. अपूर्णनीय क्षति
3. सुविधा का संतुलन

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस मे अपने लिखित कथनो के दोहराते हुए अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को अपनी पुश्तैनी भूमि से बेदखल करने से रोकने हेतु पांबद किया जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार नगर की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर देई देवता का स्थान, खटीक समाज की धर्मशाला, चालू अवस्था मे कुआं, भैरो का स्थान, समाधि व अन्य मंदिर आदि बने हुए है। भूमि की किस्म गै.मु. चाह है जो कि किसी भी प्रयोजनार्थ वर्तमान मे आवंटन योग्य नही है। राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग के दिनांक 07.12.2009 के आदेश से अराजकीय मंदिर/धार्मिक पूजा स्थल के प्रबंधन आदि हेतु उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता मे कमेटी गठित की गई है जिसमे अप्रार्थी उपाध्यक्ष नियुक्त है। अत अप्रार्थी द्वारा वर्तमान मौका स्थिति मे छेडछाड का प्रश्न उत्पन्न नही होता। यदि अन्य किसी के द्वारा उपरोक्त सार्वजनिक भूमि पर कोई मौका स्थिति मे छेडछाड कारित करता है तो अप्रार्थी CRPC व LR Act. की धाराओ मे स्वयं सक्षम है।

विवादित आराजी सिवायचक होकर राजकीय खाते मे दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी की और से विवादित आराजी बाबत पहुचांई गई कोई क्षति या संभावित क्षति बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नही किया गया है। मौके पर स्थित मंदिर व देई देवता का स्थान आदि अराजकीय मंदिर/पूजा स्थलो की श्रेणी मे आते है, जिसकी रक्षा व मौका स्थिति कायम रखने का दायित्व स्वयं अप्रार्थी का है। राज्य सरकार के आदेश/परिपत्र/नियमो मे इस संदर्भ मे पूर्ण प्रावधान पूर्व से किये हुए है।

तनकियात, साक्ष्य, बहस व वाद गुणावगुण के आधार पर निर्णित होने पर ही प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जा सकता है। स्वयं तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट मे खटीक समाज के देई देवता का स्थान विवादित आराजी पर स्थापित होना स्वीकार किया है। वर्तमान प्रार्थना पत्र मे वाद के गुणावगुण पर बिना कोई पूर्वागृह अथवा विचार प्रकट किये हुए प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी तहसीलदार नगर वाद के निर्णित होने तक राज्य सरकार के प्रचलित नियमों की पालना कर अपने पदेन दायित्वो का निर्वहन करे। इसके अतिरिक्त अन्य अनुतोष अपेक्षित नही है। फैसला सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर सलंग्न मूल वाद रहे।

(अनुपमा हरित)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)